2/197033

संख्या– /XXVIII-3-24-E File No.50350/2023

प्रेषक,

डॉ0 आर0 राजेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव(प्रभारी) उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

चिकित्सा स्वा0 एवं चिकि0 शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांक 8 मार्च, 2024

विषय–राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (SGHS) से OPT–OUT हो चुके राजकीय पेंशनरों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1256/XXVIII(3)/2021-04/2008 T.C. दिनांक 25 नवम्बर, 2021 के द्वारा प्रदेश के समस्त राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स को राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (SGHS) के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रकार के रोगों की चिकित्सकीय उपचार को प्रभावी बनाये जाने एवं आयुष्मान/अटल आयुष्मान, उत्तराखण्ड योजना की अम्ब्रेला योजना से पृथक करते हुए, सेवारत/सेवानिवृत्त सरकारी कार्मिकों एवं उनके आश्रितों के उपचार हेतु निर्धारित व्यवस्था के कम में पूर्ववर्ती शासनादेश संख्या–679/चि0–3–2006–437/2002, दि0 04 सितम्बर 2006 में उनके चिकित्सकीय उपचार की प्रतिपूर्ति हेतु प्राविधानित व्यवस्था समाप्त की गयी है।

2. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–214/XXVIII(3)/2020-04/2008 T.C, दिनांक 04 मई, 2020 के प्रस्तर 5 के अनुसार राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना(SGHS) सेवारत/सेवानिवृत्त सरकारी कार्मिकों एवं उनके आश्रितों के उपचार हेतु आवश्यक रूप से अंशदान आधारित व्यवस्था के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या–76/2021 एवं अवमानना वाद संख्या–236/2023 में पारित आदेश के अनुपालन में उक्त योजना को सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनरों एवं उनके आश्रितों के उपचार हेतु वैकल्पिक/OPT-OUT का विकल्प प्रदान किया गया है।

3. तत्कम में उक्त योजना से OPT-OUT करने वाले राजकीय पेंशनरों एवम् उनके आश्रितों के उपचार हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना संबंधी शासनादेश संख्या–1256/XXVIII (3)/2021-04/2008 T.C, दिनांक 25 नवम्बर, 2021 के प्रस्तर 25 में वर्णित व्यवस्था को अवकमित करते हुए, राजकीय पेंशनरों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु निम्नलिखित

व्यवस्था को प्रतिपादित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः—

i. राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (SGHS) से OPT—OUT हो चुके राजकीय पेंशनरों और उनके आश्रितों के चिकित्सा उपचार के व्यय की धनराशि की प्रतिपूर्ति करने हेतु पूर्व प्रचलित शासनादेश संख्याः 679/चि0—3—2006—437/2002, दि0 04 सितम्बर 2006(समय—समय पर यथासंशोधित) को पुनर्जीवित किया जाता है।

ii. राजकीय पेंशनरों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का निपटान/भुगतान उक्त शासनादेश संख्या—679/चि0—3—2006—437/ 2002, दि0 04 सितम्बर 2006 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा, बशर्ते संबंधित पेंशनर और उनके आश्रितों द्वारा किसी अन्य माध्यम/स्त्रोत से चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा सक्षम कार्यालय में प्रस्तुत/आहरित नही किया गया हो।

iii. उक्त सुविधा का लाभ राजकीय पेंशनरों और उनके आश्रितों को राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना से OPT—OUT होने संबंधी विकल्प दिये जाने की तिथि से प्राप्त होगा।

iv. उक्त शासनादेश संख्या—679/चि0—3—2006—437/2002, दि0 04 सितम्बर 2006 (समय—समय पर यथासंशोधित) के प्राविधानानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था OPT—OUT हो चुके पेंशनरों और उनके आश्रितों तक ही सीमित होगी और उनके चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावें के भुगतान के प्रयोजन तक ही सीमित हागी।

v. पेंशनरों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा और इस हेतु आवश्यक वित्तीय व्यवस्था राज्य बजट से की जायेगी।

vi. सेवानिवृत्त कार्मिकों की सुविधा के दृष्टिगत उक्त प्रतिपूर्ति के संबंध में सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा ऑनलाईन व्यवस्था निर्मित कर उक्त के अधीन भुगतान किया जायेगा।

4. शासनादेश संख्या 1256/XXVIII(3)/2021-04/2008 T.C दिनांक 25 नवम्बर 2021 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शेष शर्ते/प्रतिबंध यथावत प्रभावी रहेंगे।

5. यह आदेश वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग—03, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटरजनित ई0 संख्या — I/196097/2024, दिनांक 05 मार्च 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by R. Rajesh Kumar
Date: 08-03-2024 12:44:02
(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव।

संख्या-I/197033/24/XXVIII-3-24-E File No.50350/2023,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रमुख निजी सचिव, सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख निजी सचिव,सचिव, मा0 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
5. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, कौलागढ, देहरादून।

6. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थय एवम् परिवार कल्याण विभाग, देहरादून।
7 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्वास्थय प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को प्रकरण मे उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के कम में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु ।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, वित्त, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कुमायुं/गढ़वाल, चिकित्सा स्वास्थय एवम् परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
11. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Jaswinder Kaur
Date: 08-03-2024 12:48:16
(जसविन्दर कौर)
उप सचिव।